कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी ,फर्रूखाबाद।

पत्रांकः / /जि0का0अ0/आं0बा0 कार्य0–विज्ञिप्ति/ 2026–27 दिनांक 29 ,जून, 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव ,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश सं0: 01/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17,सितम्बर ,2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फर्रूखाबाद के शहरी /ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :–

कम संख्या	परियोजना का नाम	ऑगनबाडी कार्यकत्रियो के रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण		
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
1	बढपुर	44	20	14	10
2	शमसाबाद	20	8	5	7
3	शहर	04	3	0	1
4	कमालगंज	21	8	4	9
5	कायमगंज	27	18	3	6
6	नवाबगंज	50	22	13	15
7	राजेपुर	56	26	14	16
8	मोहम्दाबाद	70	36	16	18
	कुल योग	**292**	141	69	82

उपरोक्त पदों का ग्रामसभावार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टेट, विकास भवन,तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है, साथ ही विभागीय बेबसाइट **https://upanganwadibharti.in** पर अपलोड़ है।

विज्ञाप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :–

01–विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

02–ऑगनवाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।

03–ऑगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01–01–2026 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

04–चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की मूल निवासी हो,गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यकता महिला को वरीयता प्रदान की जायेगी।

05–विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी /संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के संबंध मे मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश ही मान्य होंगें।

Scanned with OKEN Scanner

06–विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें पात्र होंगी।

07–गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिलायें / गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाए पात्र।

08–निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजीटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

09–आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग –09 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.11 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

10–आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट **https://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्मेट पर सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। किसी भी प्रकार के तथ्य/ ऑकड़े, प्राप्तांक, पूर्णाक, जन्मतिथि आदि त्रुटिपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थिनी स्वयं में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। संबन्धित आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व स्पस्ट रूप से पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हों।

11–ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथिः 20,जुलाई,2026 होगी।

12–जिलाधिकारी/चयन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय/शासनादेश के क्रम मे चयन प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

13– मा0 न्यायालय में वाद/निर्णय/आदेश होने या चयन समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में रिक्तियों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
फर्रूखाबाद।

पृष्ठांकन संख्याः– 782/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

01. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदया, फर्रूखाबाद।
03. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद।
04. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति का निशुल्क प्रकाशन एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के समाचार–पत्र में कराये जाने का कष्ट करें।
05. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति एवं रिक्त पदों की सूचना मय आरक्षण <u>तहसील/खण्ड</u> विकास अधिकारी कार्यालय मे चस्पा करना सुनिश्चित करें।
06. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

Scanned with OKEN Scanner